0/

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

पत्रांकः-462/अ0अ0/सिं0ख0दे0/सूर्यधार वन भूमि/एफ-1/ दिनांक-30/01/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

देहरादून वन प्रभाग देहरादून।

विषयः- जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अर्न्तगत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 3.69 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः- आपका पत्र संख्या 1682/12-1 देहरादून, दिनांक 14 दिसम्बर 2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो का बिन्दुवार निराकरण कर लिया गया है।

क्र0सं0	शर्ते	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.38 है0 ग्राम गडूल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगा। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा।भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदलें 7.38 है0 ग्राम गडूल में सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू0 2056548.00 की राशि संलग्नक चालान द्वारा जमा कर दी गई है। तथा भू अभिलेखों में भूमि का स्वामित्वा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। (खतौनी संलग्नक)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2019 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित हेतु धनराशि रू0 2424330.00 की राशि **संलग्नक** चालान द्वारा जमा कर दिये गया है।
3	निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहां सभंव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्ते स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रखे में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्नक कर दिया गया है।
4	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्नक कर दिया गया है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा कर दिया गया है, चालान संलग्नक है। ,
6	The State Govt. will upload employment generation in mandays at para E (ii) online part I.	ऑनलाइन सही कर दिया गया है।
7	State Govt. may submit/upload correct information of District profile in online part-II at para 14 in part II.	प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय से सही कर दिया जायेगा।
8	State Govt. may submit the orginal hard copy of FRA certificate signed by DC or attested by competent authority.	एफ0आर0ए0 की मूल प्रति संलग्नक कर दी गई है।

संलग्नकः—मूल प्रति सहित 3 प्रतिया।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, देहरादून

पत्रांक— /अ0अ0/सिं0ख0दे0 / सूर्यधार वन भूमि/एफ—1/तदिनांकः—

प्रतिलिपिः—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्द्रिरा नगर फॉरेस्ट कोलोनी देहरादून को सूचनार्थ। एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता—चतुर्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, देहरादून

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 02 / 45 / 2018 / एफ0सी0 / 1527 दिनांक: 24 / 10 / 2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद– देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 3.69 है0 वन भूमि का सिचांई विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 3340/FP/UK/IRRI/29972/2017 दिनांक 03.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/IRRI/29972/2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद– देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 3.69 है0 वन भूमि का सिचांई विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.38 है0 ग्राम गड्डूल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां समंव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्ते स्थानो पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे वृक्षारोपण किया जायगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
6. The State Govt. will upload employment generation in mandays at para E (ii) online Part I.
7. State Govt. may submit/upload correct information of District Profile in online Part-II at para 14 in Part II.
8. State Govt. may submit the original hard copy of FRA certificate signed by DC or attested by competent authority.

कुलदीप
24/10/18

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 7.38 है0 ग्राम गडूल सिविल सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 से अधिक न हो।
10. भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Lay out Plan नहीं बदला जायेगा।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानो के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी कोई अन्य शर्त जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं वन्य जीवों आदि के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

भवदीया,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 1682/12-1 देहरादून, दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिचाई खण्ड,
देहरादून।

विषयः— जनपद—देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 3.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8बी/यू0सी0पी0/02/45/2018/एफ0सी0/1527 दिनॉक—24.10.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में जो अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून को सम्बोधीत तथा कार्यालय एवं आपको भी पृष्ठांकीत है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयॉकित प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित 08 शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए निम्न धनराशि लेखा संख्या—एस0बी0—25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लाक—11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज—1, लोधी रोड़ नई दिल्ली—110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस—पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुसार निम्न शर्तो के अनुपालन में देय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः—

मद	क्षेत्रफल है0 में	घनत्व	ईको क्लास	दर/है0	धनराशि
वनीकरण	7.38	—	—	278665.00	2056548.00
एन0पी0वी0	3.69	0.3	V	65700.00	2424330.00

अतः उपरोक्त के अतिरिक्त सैद्वान्तिक स्वीकृत की शर्त संख्या— 4 के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः— / 12—1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रां —1193/FP/UK/IRRI/29972/2017 दिनॉक—02.11.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी थानो को इस आश्य से प्रेषित कि भारत सरकार नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयॉकित प्रस्ताव मे प्रदत्त की गई सैद्वान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून। 1, जनवरी, 2019

संख्या– 656 / 12ए– 88 (2017–20) / डी0एल0आर0सी0 दिनांक ~~दिसम्बर, 2018~~

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–87 / 2017, के अनुपालन में जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अंतर्गत जाखन नदी पर सूर्याधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 3.69 है0 वन भूमि के एवज में 7.38 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरण किये जाने के संबंध मे।

उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश
जनपद–देहरादून।

उपरोक्त विषयक आपकी आख्या दिनांकित 28.12.2018 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–87 / 2017, के अनुपालन में जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अंतर्गत जाखन नदी पर सूर्याधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 3.69 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम–गडूल, तहसील–ऋषिकेश, परगना–परवादून, जनपद–देहरादून के खाता संख्या–401 के खसरा संख्या–217ड0 मध्ये क्षेत्रफल 7.38 है0 भूमि, श्रेणी–6(5)–अन्य कारणों से अकृषक भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित / आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। आपके द्वारा खाता खतौनी, नजरी नक्शा तथा सम्बन्धित ग्राम सभा की अनापत्ति सहित भूमि उपब्धता का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः आपकी आख्या दिनांकित 28 दिसम्बर, 2018 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–2173 / XVIII(II) / 2012–18(120) / 2010, राजस्व अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 , शासनादेश संख्या 111 / XXVII(7)50 (39)–2015 / 2014–वित्त (वे0आ0 –सा0नि0) अनुभाग–7 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या 1887 / XVIII(II) / 2015–18(169) / 2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 में में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम–गडूल, तहसील–ऋषिकेश, परगना–परवादून, जनपद–देहरादून के खाता संख्या–401 के खसरा संख्या–217ड0 मध्ये क्षेत्रफल 7.38 है0 भूमि, श्रेणी–6(5)–अन्य कारणों से अकृषक भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित / आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

COLLECTOR जिलाधीश देहरादून DEHRA DUN

1/1/19
(एस0ए0मुरूगेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :–
1. प्रभागीय वनाधिकारी, ~~चकराता~~ देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून को प्रकरण पर उनके पत्र संख्या– 3667 / सूर्यधार वन भूमि / एफ–1 दिनांक 26.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
देहरादून

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 045304 ग्राम का नाम / परगना : गड्डूल(परवादून) तहसील : ऋषिकेश जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1

6-5/जो अन्य कारणो से अकृषिक हो

खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान -------------------- 2 ------------------	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष -------- 3 ------	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ------ 4 ------	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ------ 6 -------	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ------------------------------- 7-12 ------------------------	टिप्पणी -------------------13------------------
00401	पहाड/./नि॰ ग्राम		86घ 202ख 214घ 217ङ 337घ 909ङ 1024ङ 1475 1631ग 1642 1644ख 1730ख 1747 1748 1749 1754ग 1755क 1756 1757ग 1758 1760ख 1761 1762 1763 1782 1784 1864ख 2099 2100 2101 2111 2112 2113 2114ठ 2711क 2743	5.0620 8.0000 7.0000 12.0000 4.1230 1.8820 0.0580 0.0100 0.0400 0.0750 0.7000 0.0240 0.0700 0.0500 0.2300 0.4990 12.1690 0.0700 0.4500 0.3500 0.6880 1.0000 0.0050 0.5000 0.1700 0.0500 7.1180 0.0300 0.0100 0.2000 0.0100 0.2500 0.2500 0.1620 0.1000 0.1500	0.00	जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून के पत्र स0 1625/12ए-214(2014-17)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 19 सितम्बर 2016 व वर्तमान पत्रांक स0 745/सा0प्र0/आटोमेटिंग टेस्टिंग लेन/2018 दिनांक 18.07.2018 पर पृष्ठाकंन आदेश ना0तह0 दिनांक 21.07.2018 के अनुपालन में परवाना ग्राम गड्डूल के खाता खतौनी सं0 401 के खसरा न0 86घ रक्बा 4.04हे0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। परवान से कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं0 656/12ए-88(2017-20/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 1 जनवरी 2019 पर पृष्ठांकित आदेश उप जिलाधिकारी ऋषिकेश दिनांक 02.01.2019 के अनुपालन में ग्राम गड्डूल परगना परवादून तह0 ऋषिकेश जिला देहरादून के खाता स0 401 के खसरा न0 217ड मध्ये क्षेत्रफल 7.38हे0 भूमि श्रेणी-6(5) अन्य कारणों से अकृषक भूमि को क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 87/2017 के अनुपालन में जनपद देहरादून में विकास डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्याधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 3.69हे0 वन भूमि के एवज में 7.38हे0 भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरण होवे। परवाने से	

उद्धरण खतौनी

खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ---- 2 ----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष -------- 3 ------	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ------ 4 ------	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ------ 6 -------	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद ---- 7-12 ----	टिप्पणी ----13----
			2746क 2747 2755 2758 2759 2765क 2772क 2773 2911	0.0400 0.0300 6.1000 0.2000 1.9000 1.6000 0.8350 0.2000 16.0000			
			45	90.4600			

कुल गाटे: चार पाँच कुल क्षेत्रफल: नौ शून्य दशमलव चार छः कुल भू-राजस्व: शून्य दशमलव शून्य शून्य

Data Digitally Signed by : PRAMOD KUMAR SHARMA

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : ऋषिकेश जनपद : देहरादून

यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

दिनांक एवं समय : 02-01-2019 05:02:21 PM

63

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–87/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार झील एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य।

कार्यवृत्त

पत्रांक:– 1669 /सक/वन अधि0अधि0/2017–18 दिनांक: 30/10/2017

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय–समय पर संसोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09/98–FC(pt) दिनांक 09.08.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 30.10.17 को जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित और अन्य पराम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु 3.69 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 104 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सिंचाई खण्ड देहरादून को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा–6(1) के अनुसार गडूल ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 26.09.2017 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया हैं। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा–6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी ऋषिकेश की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 06.10.2017 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

(अनुराग शंखधर) जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून। सदस्य सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	(एच0के0सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून। सदस्य प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग	(एस0ए0मुरूगेशन) जिलाधिकारी देहरादून। अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट देहरादून

This pc Local disk sourabh New Office File 2017 Sub Division-4 2017 New File

Annexure-1

FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No...1669/सत्र/वन आदि०आदि०/2017-18 Dated...30/10/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non&forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 3.69 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Irrigation Department Dehradun (Name of User agency) for Constuction of Suryadhar lake and approach Civil Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Gadul (s) in Rishikesh tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 3.69 hectares of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
b. the diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3,(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
c. the proposal does not invole recognised right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

Signature
(Full name and offial seal of the District collector)

जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

Annexure-II

FORM-I
(For Project other than linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No...1669./एल/97 आदि/आदि/2017-18 Dated..30/10/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 3.69 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Irrigation Department Dehradun (Name of User agency) for Constuction of Suryadhar lake and approach Civil Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Gadul (s) in Rishikesh tehsils.It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire **3.69 hectares** of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2

b. the proposal for sach diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

c. the each of concerned Gram Sabh(s), has certified that all formalities/prpceses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Gadul villages.

d. the discussion and decision on sach proposal had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas have given their consent to it.

e. the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Grama sabhas have given their consent to it.

f. the rights of primtive Tribal Groups and pre-Agariculture Communities where application have been Specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature
जिला मजिस्ट्रेट देहरादून
(Full name and offiaI seal of the District collector)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश
अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश, देहरादून

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (3.06 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.33 है0 नाप भूमि) वनभूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून के पक्ष में हस्तांतरण हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश), की बैठक दिनांक 6-10-17 का कार्यवाही विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हर गिरी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री हर गिरी, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश– अध्यक्ष
2. श्री के.के. [illegible], उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून– सदस्य
3. श्री महेश प्रताप सिंह, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ऋषिकेश–सदस्य/सचिव
4. श्री बलवन्त, क्षे0बी0डी0सी0 क्षेत्र गडूल– सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (3.06 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.33 है0 नाप भूमि) वनभूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून के पक्ष में के पक्ष में हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि झील व पहुँच मार्ग/सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (3.06 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.33 है0 नाप भूमि) वनभूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

बलवन्त सिंह
क्षे0प0 सदस्य

महेश प्रताप सिंह
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड - डोईवाला
जनपद - देहरादून, उत्तराखण्ड

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश,
देहरादून

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

(27)

कार्यालय
ग्राम पंचायत गड्डूल
तहसील–ऋषिकेश जिला देहरादून।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में सिंचाई खण्ड देहरादून के अन्तर्गत झील व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (3.06 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.63 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.33 है0 नाप भूमि) वन भूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून के पक्ष में हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गड्डूल द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में सिंचाई खण्ड देहरादून द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम गड्डूल के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि सिंचाई खण्ड देहरादून को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (3.64 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल/समाज भूमि, 0.35 है0 नाप भूमि) वन भूमि का सिंचाई खण्ड देहरादून को झील व पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

26.4.2017

ग्राम सचिव 27-09-2017

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....गड्डूल.........
वि0 ख0 डोईवाला, जिला देहरादून

27-09-2017
(श्रीमती ...)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गड्डूल
वि0 ख0 डोईवाला
ग्राम प्रधान

(28)

ग्राम पंचायत गडूल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)		
(2)	नरदेवसिंह पुण्डीर	[signature]
(3)	धर्मपाल सिंह	[signature]
(4)	अशोक सिंह	[signature]
5	राजपाल सिंह	[signature]
6	बुधसिंह सोलंकी	बुधसिंह
7	रघुवीर सिंह	[signature]
8	धर्मपाल सिंह	[signature]
9	बलबीर सिंह	बलबीर सिंह
10	कृष्ण कुमार	[signature]
11)	आशीष	[signature]
12)	नरपाल सिंह	[signature]
13)	जयप्रकाश	जयप्रकाश
14	जयराजसिंह	जयराजसिंह
15	सोबन सिंह	सोबन सिंह
16	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
17	आशीष सिंह	आशीष सिंह
18	तारा सिंह	तारा सिंह
19	अनिल	अनिलसिंह
20	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह
21	किशोरी	[thumb impression]

कमलापुण्डीर
(श्रीमती कमला पुण्डीर)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गडूल
वि0 ख0 डोईवाला, देहरादून

प्रमाण पत्र

विषयः— जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 3.64 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा यह वचन बद्वता दी जाती है कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

प्रमाण पत्र

विषयः— जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अर्न्तगत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 3.64 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

This pc/Local dish-f/ saurabh New Office File 2017/ Forest File

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

पत्रांकः– /अ0अ0/सिं0ख0दे0/सूर्यधार वन भूमि/एफ–1/ दिनांक– / /2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

देहरादून वन प्रभाग देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोईवाला के अर्न्तगत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 3.69 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या 1682/12–1 देहरादून, दिनांक 14 दिसम्बर 2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो का बिन्दुवार निराकरण कर लिया गया है।

कं0सं0	शर्ते	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.38 है0 ग्राम गडूल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगा। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा।भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदलें 7.38 है0 ग्राम गडूल में सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि संलग्नक चालान द्वारा जमा कर दी गई है। तथा भू अभिलेखों में भूमि का स्वामित्वा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। (खतौनी संलग्नक)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2019 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि संलग्नक चालान द्वारा जमा कर दिये गया है।
3	निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सभंव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्ते स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रखे में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्नक कर दिया गया है।
4	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्नक कर दिया गया है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा कर दिया गया है, चालान संलग्नक है। ,
6	The State Govt. will upload employment generation in mandays at para E (ii) online part I.	ऑनलाइन सही कर दिया गया है।
7	State Govt. may submit/upload correct information of District profile in online part-II at para 14 in part II.	ऑनलाइन सही कर दिया गया है।
8	State Govt. may submit the orginal hard copy of FRA certificate signed by DC or attested by competent authority.	एफ0आर0ए0 की मूल प्रति संलग्नक कर दी गई है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, देहरादून

पत्रांक– /अ0अ0/सिं0ख0दे0 / सूर्यधार वन भूमि/एफ–1/तदिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्द्रिरा नगर फॉरेस्ट कोलोनी देहरादून को सूचनार्थं। एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, देहरादून

जारी करने वाली शाखा
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Issuing Branch DEHRA DUN MAIN BRANCH
कोड सं./CODE No. 00630
Tel No. 0135-2656351

बैंकर्स चैक
BANKERS CHEQUE

Key: YUCJOP
Sr. No. 812879

1	5	0	1	2	0	1	9
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

PAY UTTRANCHAL CAMPA ** को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Forty Four Lakh Eighty Thousand Eight Hundred and Seventy Eight Only

अदा करें ₹ 4480878.00

IOI 000446876698 Key: YUCJOP Sr. No. 812879 AMOUNT BELOW 4480879(4/7)
Name of Applicant BR PARKING A/C WITH INB-00630 SBI

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,00,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,00,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈876698⑈ 000002000⑆ 000446⑈ 16

AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 14-01-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	IRRIGATION DEPARTMENT UTTARAKHAND
PIF/Application No.	5729972052
MoEF/SG File No.	8B/UCP/02/45/2018/FC
Address.	Irrigation division dehradun Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 doon.canal@gmail.com 9411173158 135-2653529
Amount(in Rs)	4480878/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words:Forty-Four Lakh Eighty Thousand Eight Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

Executive Engineer Irrigation Division Dehradun

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
0643001060	

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

CAMPA-MOEF Copy

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 14-01-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	IRRIGATION DEPARTMENT UTTARAKHAND
PIF/Application No.	5729972052
MoEF/SG File No.	8B/UCP/02/45/2018/FC
Address.	Irrigation division dehradunDehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 doon.canal@gmail.com 9411173158 135-2653529
Amount(in Rs)	4480878/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words :Forty-Four Lakh Eighty Thousand Eight Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

Executive Engineer Irrigation Division Dehradun

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
0643001060	

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 14-01-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	IRRIGATION DEPARTMENT UTTARAKHAND
PIF/Application No.	5729972052
MoEF/SG File No.	8B/UCP/02/45/2018/FC
Address.	Irrigation division dehradunDehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 doon.canal@gmail.com 9411173158 135-2653529
Amount(in Rs)	4480878/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words : Forty-Four Lakh Eighty Thousand Eight Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

Executive Engineer Irrigation Division Dehradun

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
0643001060	

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in